न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस

अपील संख्या 04/2024

सुन्दर देवी पत्नि इन्द्रपाल सिंह जाट, निवासी हंसासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
2.महेश पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपुत, निवासी दौलतपुरा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
3.शक्ति सिंह पुत्र संपत सिंह, जाति राजपुत, निवासी दौलतपुरा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ, उनवानी महेश आदि बनाम सुन्दर देवी मुकदमा नम्बर 01/2024 अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 28.06.2024।

उपस्थितिः—
1. श्री सुभाषचन्द्र (एडवोकेट).......................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुमित कुमार शर्मा (एडवोकेट)..................रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी (राज0 एडवोकेट).......रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 22/7/24

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम दौलतपुरा से कटानी रास्ता जो कि [illegible] खाता संख्या 42 में से होकर आगे ग्रेवल सड़क तक जाता है। उक्त रास्ता [illegible] रिकार्ड में कटानी है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रास्ता पूर्व में खुला हुआ है लेकिन खाता संख्या 15 खसरा नम्बर 235/133, खसरा नम्बर 236/133, खसरा नम्बर 237/133 में सुन्दर देवी पत्नि इन्द्रपाल सिंह जाति जाट निवासी हंसासर ने लोहे का गेट एवं ईंगल लगाकर रास्ता पूर्णतया बन्द कर दिया है। जिस कारण मैं अपने खेत में कृषि बिजाई नही कर पा रहा हूँ, आदि कथन करते हुए उक्त रास्ते का तत्काल प्रभाव से खुलवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते को खोलने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 236/136 रकबा 0.10 हैक्टर जिसे गैर मुमकिन रास्ता होना बताकर तारबन्दी होना बताया गया है, उक्त खसरा नम्बर अस्तित्व में ही नही है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पुनः कथन किया गया कि रास्ता खोलने का आदेश धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिया गया है जबकि रास्ते के प्रकरण का प्रावधान धारा 251 आर.टी. एक्ट में है। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही सरकारी भूमि में अतिक्रमण के लिए की जाती है, जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 236/133 रकबा 0.10 हैक्टर भमि सरकारी भूमि नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अंकित खसरा संख्या में संशोधित किया गया जिस पर अपीलान्ट को नही सुना गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नयायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि प्रश्नगत रास्ते पर अपीलान्ट ने लोहे का गेट एवं ईंगल लगाकर बन्द कर दिया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता रेस्पोडेन्टगण सहित अनेक ग्राम व्यक्तियों का आवागमन का रास्ता है

जो कदीमी रूप से चल है। अपीलान्ट द्वारा इस रास्ते को अविधिक रूप से बंद किये जाने पर रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं न्यायोचित कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया गया है। वर्तमान में रास्ता चालु है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 236/133 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के आवागमन बाबत उपयोग ली जा रही है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 236/133 गैर मुमकिन रास्ते बाबत ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। नोटिस एवं रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 236/133 ही अंकित किया गया है। निर्णय में सहवन से खसरा नम्बर 236/136 अंकित हो गया जो लिपिकीय त्रुटि है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि सुधार कर दिया है। मूलतः प्रकरण रास्ता खुलवाने का है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर रास्ता खुलवा दिया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नम्बर 236/133 रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त रास्ते को बन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई रास्ता खुलवाने की कार्यवाही न्यायोचित है। अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्तमान में उक्त रास्ता चालु होने का कथन किया गया है जिसका अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा खण्डन नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त रास्ता आवागमन हेतु चालु है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज योग्य है अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।